मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
क.रा.बी.नि. Employees' State Insurance Corporation
E.S.I.C. (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या : ए-49/16/5/2024-रा.भा. दिनांक : 01/9/2025

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, क.रा.बी. निगम, द्वारका, नई दिल्ली।
2. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
4.संकायाध्यक्ष, क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय/ दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5.निदेशक, निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली/निदेशालय(चिकित्सा) नोएडा, क.रा.बी. निगम

विषय : राजभाषा पखवाडा – 2025 के आयोजन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 15/07/2025 के अ.शा.पत्र सं. 11034/06/2025-राजभाषा(नीति) का संदर्भ लें (प्रति संलग्न) जिसके अनुसार वर्ष 2025 में हिंदी दिवस का आयोजन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी दिवस गांधी नगर, गुजरात में आयोजित किया जाएगा जिसमें निगम की सभी इकाइयों को अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

साथ ही **निगम इकाइयों में दिनांक 14 से 28 सितम्बर, 2025 तक राजभाषा पखवाडा का आयोजन** किया जाए तथा इसके पश्चात अगले कार्य दिवस पर **पखवाड़ा का समापन समारोह** आयोजित किया जाए।

अत: सभी इकाइयों से अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा पखवाड़ा के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप आयोजित करें:-

1.प्रत्येक पत्रादि के शीर्ष पर 'राजभाषा पखवाड़ा- 2025' अवश्य अंकित किया जाए।

2.कार्यालय के मुख्य द्वार पर राजभाषा पखवाड़े का बैनर प्रदर्शित किया जाए। हिंदी भाषा में कुछ प्रमुख सूक्तियों के कम-से-कम 10 पोस्टर/बैनर/स्टैंडी अथवा एक-दो डिजिटल डिस्प्ले को अपनी इकाई के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाए।

3.पखवाड़े के दौरान मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रतियोगिताएं दिनांक 16.09.2025 से आयोजित की जा सकती हैं।

4.समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए जाएं।

5.पखवाड़े के दौरान इस प्रकार के आयोजन किए जाएं जो अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों का यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि हिंदी में मौलिक कार्य, जैसे- टिप्पण, मसौदे, पत्राचार आदि को बढ़ाया जा सके।

6.हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दृष्टि से प्रचार सामग्री, हिंदी पुस्तकें, शब्दावलियां, पत्रिकाएं, टिप्पण आदि के नमूने आदि प्रदर्शित किए जा सकते हैं।

7.अधीनस्थ सभी शाखाओं तथा शाखा कार्यालयों को प्राय: प्रयोग होने वाली छोटी-छोटी नेमी टिप्पणियों की सूची उपलब्ध कराई जाए जो उनके लिए टिप्पणियों आदि लिखने में सहायक हो सकें।

8.इकाई प्रमुख द्वारा बैठक आयोजित की जाए जिसमें इकाई प्रमुख द्वारा कार्मिकों से हिंदी में काम करने हेतु अपील की जाए। हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग संबंधी निर्देशों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर बैठक में विचार-विमर्श किया जाए।

9.राजभाषा पखवाड़े के दौरान इकाइयों में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें हिंदी टिप्पण/आलेखन, यूनिकोड,ई-टूल्स तथा राजभाषा संबंधी आवधिक रिपोर्टों के बारे में कार्मिकों का आवश्यक जानकारी दी जाए।

10.सभी अधिकारियों/कर्मचारियों (जिन्हें हिंदी का ज्ञान है (प्रवीण/कार्यसाधक) द्वारा अपना कार्यालयीन कामकाज (टिप्पण-आलेखन आदि) हिंदी में ही किया जाए।

11.अधिकाधिक टिप्पणी, मसौदे, पत्राचार और प्रपत्र जैसे कार्य मूल रूप से हिंदी में किए जाने पर बल दिया जाए।

12. इस अवधि के दौरान प्रकाशित की जाने वाली गृह पत्रिकाओं को 'राजभाषा विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया जाए।

13.समय-समय पर जारी किए गए राजभाषा नीति संबंधी अनुदेश कर्मचारियों को परिचालित किए जाएं।

14.सरल हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाए।

15.आयोजन में यथासंभव सादगी बरती जाए।

16.राजभाषा पखवाड़ा तथा मुख्य समारोह/पुरस्कार वितरण **समारोह की रिपोर्ट दिनांक 10.10.2025** तक अवश्य मुख्यालय भेजी जाए।

निगम की सभी इकाइयों से अपेक्षित है कि वे मुख्यालय द्वारा जारी उपर्यक्त निदेशों का अनुपालन करें।

कृपया इसकी पावती भेजी जाए।

संलग्रक : यथोपरि

भवदीय

Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 01-09-2025
12:56:45

(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

01.9.2025

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

सं. 11034/06/2025-राजभाषा(नीति)

दिनांक : 15 जुलाई, 2025

आदरणीय महोदय / महोदया

आप जानते ही हैं कि संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ से यह अपेक्षा की गई है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन संविधान की भाषाई समरसता की भावना के अनुरूप किया जा रहा है।

2. माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी दिवस-2024 एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन भारत मंडपम्, नई दिल्ली में किया गया था। दो दिवसीय इस महाकुंभ में देश भर के आठ हजार से अधिक हिंदी प्रेमियों और हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की। पिछले वर्षों की भाँति इस वर्ष भी हिंदी दिवस एवं 5वे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन अत्यंत भव्य एवं गरिमामयी रूप में किया जाएगा। **माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2025 को हिंदी दिवस तथा 14 एवं 15 सितंबर, 2025 को 5वे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं एग्जिबिशन सेंटर, गांधी नगर, गुजरात में होगा।** प्रसंगवश, यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि राजभाषा विभाग की स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 26 जून, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में "राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह" का आयोजन किया गया। इसी उपलक्ष्य में एक अन्य सम्मेलन 11 जुलाई, 2025 को, जीएमसी बालयोगी इनडोर स्टेडियम, हैदराबाद में भी आयोजित किया गया। जिसमें देश भर से आए हिंदी सेवियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

3. आपसे अनुरोध है कि सितंबर माह के दौरान अपने मंत्रालय/विभाग में हिंदी माह/पखवाड़ा पूरे उत्साह से मनाएं। इस दौरान सभी अधिकारियों/कार्मिकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें कि वे अधिक से अधिक कामकाज मूलरूप से राजभाषा हिंदी में करें। इसी अवधि के दौरान, राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराएं। कृपया यह भी सुनिश्चित कराएं कि आपके मंत्रालय/विभाग के प्रत्येक कार्यालय में हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर 2025 को महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं एग्जिबिशन सेंटर, गांधी नगर, गुजरात में हो और समापन आपके कार्यालय आदि में हो।

4. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार, केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम, नियम तथा इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए। इस अवधि के दौरान सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने सभी कार्मिकों को राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 सहित राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संघ की राजभाषा नीति से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया जाए। सभी अधिकारियों/कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर जाकर हिंदी शब्द सिंधु, ई-पत्रिका पुस्तकालय एवं ई-सरल हिंदी वाक्यकोश

जैसे आईटी उत्पादों का भरपूर लाभ उठाएं। इसके अलावा अधिकारियों/कार्मिकों को, यदि अनुवाद टूल की आवश्यकता हो, तो स्मृति आधारित स्वदेशी अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ 2.0' के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

5. आपसे अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/विभाग के राजभाषा से जुड़े अधिकारियों एवं मंत्रालय के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को गांधीनगर, गुजरात में होने वाले हिंदी दिवस एवं 5वे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने का निर्देश दें। कृपया सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/बोर्डों/ निगमों आदि को भी ऐसे ही निर्देश मंत्रालय की ओर से जारी किए जाएं।

शुभेच्छु

अं आर्या

(अंशुली आर्या)

<u>भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव</u>